न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 01/2025
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 09.01.2025 निर्णय दिनांक : 10.05.2025

अनवान

1. ओमप्रकाश रेगर पिता नंगजीराम जाति रेगर निवासी मेहरो खेडिया, तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद, राजस्थान
2. सुनील रेगर पिता नंगजीराम जाति रेगर निवासी मेहरो खेडिया, तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद, राजस्थान

.....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारगढ जिला राजसमन्द (राज.)

.....विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा
विपक्षी की ओर से :– सरकार

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव खेडिया, पिपलिया पटवार हल्का दोवडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या 23 पुराना 25 के आराजी नम्बर 1080, 1666/804, 830 से 842 कुल किता 15 रकबा 2.2700 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/16वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। खाता संख्या नया 47 पुराना 46 के आराजी नम्बर 177, 209 कुल किता 02 रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि में प्रत्येक का 1/420वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। खाता संख्या नया 48 पुराना 46 के आराजी नम्बर 193 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/420वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। खाता संख्या नया 49 पुराना 47 के आराजी नम्बर 195 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/420वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। खाता संख्या नया 63 पुराना 47 के आराजी नम्बर 176, 178 से 185, 190, 191, 196, 73 कुल किता 13 रकबा 1.9700 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/420वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण का वास्तविक एवं सही नाम कमशः ओमप्रकाश रेगर एवं सुनील रेगर है, परन्तु प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद विरासत से जो नामान्तरकरण प्रार्थीगण पर खोला गया उसमे गलती से प्रार्थीगण का घर का बोलता नाम कमशः भारू एवं

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

चुन्नीलाल अंकित हो गया, जब कि उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद से प्रार्थीगण ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं किसी अन्य का कोई हक, दखल, तालूक नही है। प्रार्थीगण का सही नाम क्रमशः ओमप्रकाश रेगर एवं सुनील रेगर है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैक डायरी, मतदाता पहचान पत्र ई–श्रम कार्ड, राशन कार्ड आदि मे प्रार्थीगण का नाम ओमप्रकाश रेगर एवं सुनील रेगर ही अंकित है। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की जमीन पर सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि राजस्व जमाबन्दी मे उनका नाम गलत अंकित है, जिस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड मे नाम सही कराने के लिए तहसीलदार साहब सरदारगढ एवं पटवारी साहब दोवडा के यहां निवेदन किया किन्तु इन्द्राज दुरस्ती नही की गई। जिससे मजबुर होकर प्रार्थी को आप श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र करना पड रहा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.11.2024 को भी विपक्षी को उक्त राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज सुधार कर प्रार्थीगण के नाम भारू के बजाय ओमप्रकाश रेगर एवं चुन्नीलाल के बजाय सुनील रेगर अंकित करने का निवेदन किया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही होने से वाद हेतुक उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि मे काश्तकार के नाम की प्रविष्ठी में प्रार्थीगण का नाम भारू के बजाय ओमप्रकाश रेगर एवं चुन्नीलाल के बजाय सुनील रेगर अंकित किया जाकर नाम को दुरस्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जावें तद्नुसार राजस्व रेकार्ड को दुरस्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सरदारगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेडिया व पिपलिया में खाता संख्या 23 किता–15, खाता संख्या 47 किता–2, खाता संख्या 48 किता–1, खाता 49 किता–1, खाता संख्या 63 किता–13 में प्रार्थीगण नाबालिग भारू पुत्र नगजीराम संरक्षक सरपरस्त माता केसरबाई रेगर सा. देह व नाबालिग चुन्नीलाल पुत्र नगजीराम संरक्षक सरपरस्त माता केसरबाई जाति रेगर सा. देह व अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर गाँव में हल्का पटवारी व् भू–अ. निरीक्षक सियाणा द्वारा की गयी, जाँच में यह जाहिर आया कि भारू श्री ओमप्रकाश का उपनाम व् चुन्नीलाल श्री सुनील का उपनाम है।

दौरान कार्यवाही पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि भारू पुत्र नगजीराम एवं ओमप्रकाश पिता नगजीराम और चुन्नीलाल पिता नगजीराम एवं सुनिल पिता नगजीराम दोनों अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मे प्रार्थीगण का नाम ओमप्रकाश व सुनिल अंकित है, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य साबित हैं।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व गांव खेडिया पिपलिया पटवार हल्का दोवडा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 23 पुराना 25 के आराजी नम्बर 1080, 1666/804, 830 से 842 कुल किता 15 रकबा 2.2700 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 47 पुराना 46 के आराजी नम्बर 177, 209 कुल किता 02 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 48 पुराना 46 के आराजी नम्बर 193 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 49 पुराना 47 के आराजी नम्बर 195 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 63 पुराना 47 के आराजी नम्बर 176, 178 से 185, 190, 191, 196, 73 कुल किता 13 रकबा 1.9700 हैक्टेयर भूमि में भारू पुत्र नगजीराम एवं चुन्नीलाल पिता नगजीराम को विलोपित करते हुए के स्थान पर क्रमशः ओमप्रकाश पिता नगजीराम व सुनिल पिता नगजीराम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 खुले न्यायालय पर आदेश सुनाया गया।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)